रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2011/ज्येष्ठ 11, 1933
No. 288] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2011/JYAISTHA 11, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2011

सा.का.नि. 424(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (चौथा संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में, विद्यमान क्रम संख्या 75, "सोडा क्षार उद्योग" और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक			
(1)	(2)	(3)	(4)			
"75	सोडा क्षार उद्योग		**बहिस्राव मानक**			
			क. सॉल्वे प्रक्रिया			
			सान्द्रण सीमा मि.ग्रा/लीटर में, पी एच तापमान और बायोएस्से परीक्षण को छोड़कर			
			खाड़ी	समुद्रीय तटीय जोन	नदी मुख क्षेत्र	अन्तर्देशीय सतही जल
		निलंबित कण	500*	1000**	200	100
		अमोनिकल नाइट्रोजन, N के रूप में	50	50	50	30
		तेल और ग्रीस	5	5	5	5
		बायोएस्से***	100 प्रतिशत बहिस्राव में 96 घण्टे के बाद 90 प्रतिशत मछलियां अवशेष			
		पी एच			6.5-9.0	
		तापमान	प्रापक जल निकाय के परिवेशीय तापमान से 5°C से अधिक नहीं			

(1)	(2)	(3)	(4)

*खाड़ी में अवजल निस्तारण बिन्दु निम्न भाटा रेखा के बाद रहेगा ।

**बहिस्राव प्रसारक व्यवस्था तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के अनुरूप निम्न भाटा स्तर से न्यूनतम पांच मीटर की गहराई पर लगाई जाए तथा अवजल का निर्गम वेग तीन मीटर/सैकेण्ड से अधिक हो ।

***बायोएस्से परीक्षण IS : 6582-1971 के अनुसार संचालित किया जाए ।

ख. दोहरी प्रक्रिया

	अंतर्देशीय सतही जल
पी एच	6.5-9.0
अमोनिकल नाइट्रोजन, N के रूप में	50
नाइट्रेट नाइट्रोजन, N के रूप में	10
साइनाइड, CN के रूप में	0.2
हेक्सावेलन्ट क्रोमियम	0.1
कुल क्रोमियम	2
निलंबित ठोस	100
तेल और ग्रीस	10

ग. स्टार्म वाटर

टिप्पण :

(i) स्टार्म वाटर को औद्योगिक बहिस्राव अथवा तलधुलाई बहिस्राव के साथ मिलाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) उद्योग की अंतसीमा के स्टार्म वाटर को वर्षा के 10 मिनट की संग्रहण क्षमता (घंटे का औसत) के एच डी पी ई परत वाले गड्ढों के माध्यम से अलग नाली/नालियों से बहाया जाएगा " ।

[फा. सं. क्यू-15017/42/2009-सी.पी.डब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती सं. का.आ. 433(अ) तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. 97(अ) तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ) तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512(अ) तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543(अ) तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595(अ) तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794(अ) तारीख 4 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 826(अ) तारीख 16 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 01(अ) तारीख 1 जनवरी, 2010; सा.का.नि. 61(अ) तारीख 5 फरवरी, 2010; सा.का.नि. 485(अ) तारीख 9 जून, 2010; सा.का.नि. 608(अ) तारीख 21 जुलाई, 2010; सा.का.नि. 739(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2010; सा.का.नि. 809(अ) तारीख 4 अक्तूबर, 2010; सा.का.नि. 215(अ) तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. 221(अ) तारीख 18 मार्च, 2011 और सा.का.नि. 354(अ) तारीख 2 मई, 2011 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2011

G.S.R. 424(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (i) These rules may be called the Environment (Protection) (Fourth Amendment) Rules, 2011.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, in existing serial number 75, relating to "Soda Ash Industry", for the existing entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standard
(1)	(2)	(3)	(4)

"75 Soda Ash Industry

Effluent standards

A. Solvay Process

Limiting Concentration in mg/l except for pH, Temperature and Bio-assay

	Creek	Marine Coastal Zone	Estuary Area	Inland Surface Water
Suspended Solids	500*	1000**	200	100
Ammonical Nitrogen as N	50	50	50	30
Oil & Grease	5	5	5	5
Bio-assay***	Minimum 90% survival of fish after 96 hours in 100% effluent			
pH	6.5-9.0			
Tempertaure	Not to exceed 5°C above the ambient temperature of the receiving water body			

* The effluent discharge point in creek shall be beyond low tide line.

**The diffuser system shall be located in conformity with the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 at a minimum depth of 5 metres below low tide level and with exit velocity for effluent more than 3 metres/sec.

*** The Bio-assay test shall be conducted as per IS : 6582-1971.

B. Dual Process

	Inland Surface water
pH	6.5-9.0
Ammonical Nitrogen , as N	50
Nitrate Nitrogen, as N	10
Cyanide, as CN	2
Hexavalent Chromium	0.1
Total Chromium	2
Suspended Solids	100
Oil & Grease	10

C. Stormwater

Note :

(i) Stormwater shall not be allowed to mix with effluent and/or floor washings.

(ii) Stormwater within battery limit of industry shall be channelized through separate drain(s) passing through HDPE lined pit(s) each having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall for its catchment area.".

[F. No. Q-15017/42/2009-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note: —The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844(E),dated the 19th November, 1986; subsequently amended vide S.O. 433(E), dated the 18th April, 1987; and recently amended vide G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512(E), dated the 9th July, 2009; G.S.R. 543 (E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794 (E), dated the 4th November, 2009; G.S.R. 826(E), dated the 16th November, 2009; G.S.R. 01(E), dated the 1st January, 2010; G.S.R. 61(E), dated the 5th February, 2010; G.S.R. 485(E), dated the 9th June, 2010; G.S.R. 608 (E), dated the 21st July, 2010; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R.809(E), dated the 4th October, 2010; G.S.R. 215(E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; and G.S.R. 354(E), dated the 2nd May, 2011.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.